पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1493

दिनांक–22.06.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-निगोहां

- **थाना निगोहाँ व सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी पुलिस टीम की सफलता।**
- **02 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **बरामदगी- 01 अदद पल्सर मोटरसाईकिल जिसका नम्बर UP 32 MW 9052 व एक अदद स्कूटी न0 UP 32 LR 7665**

01.कार्यवाही विवरण-

पुलिस आयुक्त श्रीमान अमरेन्द्र कुमार सेंगर कमिश्नरेट लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व अपने सकुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त श्रीमान निपुण अग्रवाल जोन दक्षिणी कमिश्नरेट लखनऊ के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त श्री अमित कुमार कुमावत दक्षिणी जोन कमिश्नरेट लखनऊ व सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ श्री रजनीश वर्मा के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष श्री अनुज कुमार तिवारी के नेतृत्व में थाना निगोहां पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 99/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

02.घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.06.2025 को वादी श्री संदीप कुमार पुत्र रामलखन निवासी ग्राम मीरकनगर थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ की लिखित तहरीर बावत वादी की मोटर साईकिल न0 UP 32 MW 9052 को स्कूटी सवार 3 लोगों द्वारा छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में दिया था। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 99/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। जिसके त्वरित निस्तारण हेतु व अभियोग के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु डीसीपी दक्षिणी महोदय के निर्देशन में सर्विलांस सहित 03 टीमो का गठन किया गया। इन टीमों द्वारा टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर आने जाने वाले रास्तों पर लगे करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के वीडियो फुटेज का अवलोकन किया गया। जिसके क्रम में 02 शातिर अभियुक्तों 1. अभिषेक साहू पुत्र विजय शंकर साहू उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम सिर्स थाना निगोहां जनपद लखनऊ 2. सूरज रावत पुत्र रामचन्द्र रावत उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मस्तीपुर थाना निगोहां जनपद लखनऊ को **नहरिया के पास मीरकनगर जाने वाले रास्ते के पास थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ** से हिरासत में लिया गया तथा अन्य **एक अभियुक्त अभय उर्फ अभिनंदन उर्फ मार्को फरार है।**

03.पूछताँछ का विवरणः-

अभियुक्तगणों से पूछताछ की गयी तो कि दिनांक 16/17.06.2025 की रात को ग्राम करनपुर में ब्यासी बाबा के मंदिर के पास से हमने एक पल्सर बाईक लूटी थी, यह वही बाईक है। हम लोग ऑटो चालक है तथा रात में सुनसान रास्तों पर लूट पाट करते है, हमको लूट के लिए अन्य बाईक की आवश्यकता थी, इसलिये दिनांक 16/17.06.2025 की रात को मैं व मेरे साथी सूरज तथा अभय उर्फ अभिनंदन उर्फ मार्को अपनी स्कूटी से एक पल्सर बाईक का पीछा करते हुए करनपुर आये थे और करनपुर के पास ही उक्त पल्सर मोटरसाइकिल चालक को हमने रोककर धमकाकर व जान से मारने का डर दिखाकर उसकी बाइक को छीन लिया था। आगे लूटने के लिए ये मोटर साईकिल हमारे द्वारा प्रयोग की जाती है ताकि बाईक प्रकाश में आने पर हम लोग भी आसानी से बच जाते। पिछले चार पांच दिनों से हम लोग अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट का प्रयास कर रहे थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। अभियुक्तगण उपरोक्त ऑटो चलाते है तथा थाना बिजनौर व मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर किराए पर रहते है तथा वहीं से घटना को अंजाम देते है। अभियुक्तगण के कब्जे से लूट की मोटर साईकिल एवं घटना में प्रयुक्त स्कूटी को बरामद किया गया। पूर्व में भी उपरोक्त अभियुक्तगण अन्य घटनाओं में जेल जा चुके है। अभियुक्तगणों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

04.अनावरित अभियोग-

मु0अ0सं0 99/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ।

05-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

1.अभिषेक साहू पुत्र विजय शंकर साहू उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम सिर्स थाना निगोहां जनपद लखनऊ (ऑटो चलाते थे)

2. सूरज रावत पुत्र रामचन्द्र रावत उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मस्तीपुर थाना निगोहां जनपद लखनऊ (ऑटो चलाते थे)

06. आपराधिक इतिहासः-

अभिषेक साहू –

1.मु0अ0सं0 99/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ

2.मु0अ0सं0 22/2024 धारा 147/148/323/427/504/506 भादवि थाना नगराम जनपद लखनऊ

3.मु0अ0सं0 29/2024 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)घ,3(1)द एससी एसटी एक्ट थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ।

सूरज रावत-

1.मु0अ0सं0 99/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ

2.मु0अ0सं0 153/2022 धारा 380/411 भादवि थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ

3.मु0अ0सं0 386/2023 धारा 120बी/201/302/307/34 भादवि व 3(2)v एससी एसटी एक्ट,3/25 आर्म्स एक्ट थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।

07.बरामदगी–

01 अदद पल्सर मोटरसाईकिल जिसका नम्बर UP 32 MW 9052 व एक अदद स्कूटी न0 UP 32 LR 7665 व जामा तलाशी से प्राप्त 260 रु0।

08.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना निगोहाँ व सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी संयुक्त पुलिस टीम द्वारा।

नोट-पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25 हजार रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1495
दिनांक-22/06/2025

जोन पश्चिमी/ थाना कैसरबाग

- **01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

01-कार्यावाहीः-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, लखनऊ महोदय पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) व अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) व सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग लखनऊ व प्रभारी निरीक्षक कैसरबाग के निर्देशन तथा उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेश निर्देश के क्रम में थाना कैसरबाग पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त मो0 एखलाक अंसारी पुत्र शफीक अंसारी निवासी म0नं0 105/149 फूलबाग खन्दारी बाजार लखनऊ को गिरफ्तार किया गया।

02. संक्षिप्त विवरण-

थाना कैसरबाग से संबंधित एनबीडब्लू वाद सं0 1418/2024 अन्तर्गत धारा 125 द0प्र0सं0 के विरुद्ध माननीय न्यायालय 05 प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लखनऊ महोदय द्वारा जारी वारण्ट के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्त मो0 एखलाक अंसारी पुत्र शफीक अंसारी निवासी म0नं0 105/149 फूलबाग खन्दारी बाजार लखनऊ को दिनाँक 22/06/2025 समय 01.30 बजे अभियुक्त का घर, 105/149 फूलबाग खन्दारी बाजार थाना कैसरबाग लखनऊ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है ।

03. नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मो0 एखलाक अंसारी पुत्र शफीक अंसारी निवासी म0नं0 105/149 फूलबाग खन्दारी बाजार लखनऊ

04. गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक व समय-

अभियुक्त का घर, 105/149 फूलबाग खन्दारी बाजार थाना कैसरबाग लखनऊ; दि0-22/06/25 समय01.30 बजे

05. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ऋषिकेश राय
2. उ0नि0 विशाल सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1494

दिनांक–22.06.2025

जोन पश्चिमी/थाना चौक

- **चरक डायग्नोस्टिक सेन्टर में चोरी करने वाले कर्मचारी को जनता के सहयोग से किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ महोदय के द्वारा अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखने एवं पूर्व में घटित घटनाओं का अनावरण किये जाने व वाँछित-वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेशो-निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त (प) व अपर पुलिस उपायुक्त (प) के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त चौक के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चौक के नेतृत्व में चौक पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से डायग्नोस्टिक सेन्टर में चोरी करने वाले कर्मचारी/अभियुक्त अमित कुमार वर्मा पुत्र राम प्रकाश वर्मा निवासी खम्भौली थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र 27 वर्ष को दिनांक 21.06.25 को समय 17:02 बजे थाना चौक लखनऊ से चरक डायग्नोस्टिक सेन्टर थाना चौक लखनऊ से चोरी की गयी दवाओं साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को जेल भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21.06.2025 वादी श्री प्रमोद प्रताप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी 4/90 सेक्टर डी बसन्त कुंज योजना आईआईएम रोड थाना दुबग्गा लखनऊ मय हमराह मय हमराह शुभम त्रिवेदी पुत्र सच्चिदानन्द त्रिवेदी निवासी ग्राम बनभिरया कठौरा थाना कमरौली जनपद अमेठी ने थाना चौक में उपस्थित होकर तहरीर अवगत कराया कि अमित कुमार जो कि चरक डाइग्नोस्टिक में सी0टी0 टेक्निशियन पद पर कार्यरत है को सीटी कन्सोल एरिया में संदिग्ध हरकत करने पर वादी द्वारा पूछताक्ष करने व शुभम त्रिवेदी सुपरवाइजर द्वारा तलाशी कराने पर अमित के हाथ में लिये थैले से चोरी किये गये कान्ट्रा पैक 200 mp की 4 बाँटल,कान्ट्रा पैक 100 ml की एक बोतल एवं ट्राइजो गेस्ट्रो 100 ml की एक बोतल बरामद की गयी। इन सभी बरामद बोतल की कीमत लगभग रू. 16000 है तथा ये दवा सी0टी0 स्कैन की जाँच में प्रयोग होती है। अभियुक्त अमित कुमार व बरामद माल के साथ थाने लेकर आये है। अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर बरामद माल कब्जा पुलिस लिया गया तथा घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं 166/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चौक लखनऊ

03-अभियुक्त का नाम पता–

1. अमित कुमार वर्मा पुत्र राम प्रकाश वर्मा निवासी खम्भौली थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव मो0नं0 6387660035 उम्र 27 वर्ष

04-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं 166/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चौक लखनऊ

05-बरामदगी का विवरण –

1. कन्ट्रा पैक 350 की 04 बोतल 200 ग्राम की
2. लेक पामीडाल 370 की एक बोतल 100 ग्राम की
3. ट्राजो गेस्टो की एक बोतल 100 ग्राम (कुल कीमत 16000/- रूपये)

06-गिरफ्तार कर्ता टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नागेश उपाध्याय , थाना चौक , कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 पकंज बृजपाल सिंह चौकी प्रभारी पाटानाला, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
3. का0 दीपेश कुमार, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ